

जनपद- चम्पावत में राज्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत चतुरकोट- कफल्टा
मोटर मार्ग के सम्बन्ध में

लम्बाई- 06.00 किमी०

(प्रस्ताव संख्या 45918 / 2020)

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14- स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	हाँ। दिनांक 21.10.2023।
15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग: ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हाँ, सहमत।
16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	जनहित में स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

दिनांक:- 02.02.2024

स्थान:- अल्मोड़ा।



(पी०के० पात्रो)

मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 1903 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 03-02-2024.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद- चम्पावत में राज्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत चतुरकोट- कफल्टा मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रस्ताव सं० 45918/2020।

सन्दर्भ :- प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत की पत्र संख्या 4216/12-1 (2) दिनांक 02.06.2023।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में उक्त प्रस्ताव जो इस कार्यालय में दिनांक 08.06.2023 को प्राप्त हुआ है की तीन प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न- यथोपरि।

भवदीय



(पी०के० पात्रो)

मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।